

09/03/2026 पत्रावली पेश। वकील अपाथीगण (वादीगण) व प्राथीगण (प्रतिवादीगण) उपस्थित हुए। दोनों वकील की वृहत् सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल पत्रावली में प्रतिवादीगण की पक्ष रखने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिये जाने, कोरोना काल में एकपक्षीय कार्यवाही से अंतिम डिक्ली जारी करते समय प्रतिवादीगण (प्राथीगण) को पूर्ण सूचना नहीं दिये जाने से प्राथीगण (प्रतिवादीगण) को प्राथमिक पत्र रचकार किया जाता है। मूल प्रकरण सं. 22/2019 में जारी निर्णय व डिक्ली आदेश को अपास्त किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। दोनों पक्षों को समान अवसर दिया जाकर पुनः सुना अवसर तथा तपसुसाह मूल पत्रावली में फिसल लिया जावे। पत्रावली में कोई अन्य कार्यवाही नहीं होने से मूल प्रकरण में संलग्न कर फिसल शूमाह होकर नम्बर से कम होवे।

**उपखण्ड अधिकारी**  
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)